पत्रांक–3 / CG–21 / 2023–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

संजु रानी
अवर सचिव
निदेशालय नियोजन (मु०)
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

पटना–01, दिनांक–

विषय– श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में निदेशालय नियोजन के अंतर्गत टूल किट के वितरण हेतु रंगीन विज्ञापन प्रकाशन के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन की मूल प्रति की सी०डी० संलग्न करते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में निदेशालय नियोजन के अंतर्गत जिला नियोजनालयों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क टूल किट वितरण कार्यक्रम के रंगीन विज्ञापन को राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/
(संजू रानी)
अवर सचिव (नियोजन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3 / CG–21 / 2023– 593 पटना–01, दिनांक– 10.06.2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

2. सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।
3. श्री धनश्याम रविदास, श्रम अधीक्षक (निर्माण श्रमिक)–सह– विभागीय नोडल पदाधिकारी, e-advertisement Portal को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

Sanju 10.06.2025
अवर सचिव (नियोजन)
बिहार, पटना।

D:\WORK\Sanjay Sir JSA\LETTER_2024.Docx 96

387

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना

आवश्यक सूचना

टूल किट योजना

नियोजनालयों में निबंधित युवाओं को स्वरोजगार हेतु निदेशालय नियोजन के अंतर्गत नियोजनालयों द्वारा नि:शुल्क टूल किट वितरण किया जाता है।

योग्यताः

1. कम से कम छः माह पूर्व का नियोजनालय में निबंधन।
2. स्वरोजगार हेतु संबंधित ट्रेडों यथा - Electrician / Electronic/Fitter/ Mobile repair/Plumber /Beautician/ Home appliances repair/Sewing Machine Operator इत्यादि में मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 03 माह का प्रशिक्षण प्राप्त, RSETI, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY, DDUGKY इत्यादि मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त एवं बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) से RPL (Recognition of Prior Learning) प्रमाण-पत्र प्राप्त युवा लाभुक होंगे।
3. बिहार राज्य के निवासी।
4. उम्र सीमा-18-40 वर्ष।
5. वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 3,00,000/- से कम हो।
6. लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, Transgender, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं महिला वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिक जानकारी एवं आवेदन जमा करने हेतु अपने संबंधित नियोजनालय से संपर्क करें।
Toll free No- 18002965656